राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14110/2024

लाला पुत्र भंवरलाल, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला, दूदू (राजस्थान).

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. कृष्ण कुमार वर्मा पुत्र स्व. हनुमान वर्मा, निवासी गोकुलपुरा, पोस्ट कालख वाया जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
2. भोलूराम पुत्र किशन बैरवा, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
3. प्रभुलाल पुत्र किशन बैरवा, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
4. तेजपाल पुत्र किशन बैरवा, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
5. जगदीश पुत्र गोपी मीना, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
6. मोहनी पत्नी कैलाश मीना, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
7. गीता पुत्री रामू मीना, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
8. संतोष पुत्री रामू मीना, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
9. गोपाल पुत्र रामू मीना, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।

(31/05/2025 को सुबह 08:52:49 बजे डाउनलोड किया गया)

10. पप्पुडी पुत्री रामू मीना, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिलादूदू।
11. स्वरूप कंवर पत्नी नंद सिंह राजपूत, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
12. पुष्पकंवर पुत्री नंद सिंह राजपूत, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
13. मनोहर कंवर पुत्री नंद सिंह राजपूत, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
14. पिन्नू कंवर पुत्री नंद सिंह राजपूत, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
15. गजेन्द्र पुत्र नन्दसिंह राजपूत, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
16. पहल कंवर पत्नी दयाल सिंह राजपूत, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
17. विक्रम सिंह पुत्र दयाल सिंह राजपूत, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
18. गिरवर सिंह पुत्र दयाल सिंह राजपूत, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
19. सदाकंवर पुत्री बनेसिंह राजपूत, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
20. हेम कंवर पत्नी बनेसिंह राजपूत, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
21. रघुनाथ सिंह पुत्र गोपाल सिंह मुतबन्ना दीप कंवर, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
22. दातार सिंह पुत्र गोपाल सिंह मुतबन्ना दीप कंवर, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
23. हिम्मत सिंह पुत्र गोपाल सिंह मुतबन्ना दीप कंवर, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
25. हरनाथ पुत्र श्री किशना बैरवा, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद,

जिला दूदू।

26. बाबूलाल पुत्र श्री किशना बैरवा, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
27. सुरज्ञान पुत्र भंवरलाल मीना, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
28. हीरा देवी पत्नी रतनलाल जाट, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
29. मोहन पुत्र रोडू बैरवा, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
30. शंकर पुत्र रोडू बैरवा, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
31. मंजू पुत्री रोडू पत्नी शिवचरण बैरवा, निवासी खुड़ियाला, वर्तमान निवासी रामपुरा ऊंटी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
32. सुनीता पुत्री रोडू पत्नी ओमप्रकाश बैरवा, निवासी खुडियाला वर्तमान निवासी रामपुरा ऊंटी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
33. राजस्थान राज्य ज़रिये तहसीलदार मौजमाबाद, जिला दूदू ।
34. मूलचंद कंडेला पुत्र चतुर्भुज, निवासी बल्लाइयों का मौहल्ला, झग बस स्टैंड के पास, बगरू, जिला जयपुर।
35. सम्पति देवी पत्नी विनोद कुमार, निवासी बैरवो का मौहल्ला, बिहारीपुरा सांवली, जयपुर।
36. किशन पुत्र भंवरलाल, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
37. प्रेम पुत्री भंवरलाल, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
38. बजरंग पुत्र रामू, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
39. धन्ना पुत्र रामू, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
40. दयाल पुत्र रामू, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।
41. सायर पत्नी रामू, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सौरभ वैष्णव के लिये श्री अनिरुद्ध त्यागी

उत्तरदाता (ओं) के लिए : श्री प्रकाश कुमार झा

माननीय श्रीमान जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

02/01/2025

1. यह याचिका राजस्व मंडल, अजमेर (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका पर विचार करते हुए पारित दिनांक 08.05.2024 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने वाद में वर्णित संपत्तियों के संबंध में विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया था। सहायक कलेक्टर ने माना कि संपत्ति का विभाजन नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ प्रतिवादी संबंधित संपत्ति के खातेदार के रूप में दर्ज हैं। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 36 से 41 (इस याचिका में शामिल) के साथ मिलकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग करते हुए अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन के साथ एक अपील दायर की। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने 20.09.2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया। अंतरिम आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बोर्ड ने अंतरिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण स्वीकार करने में त्रुटि की है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी को सुने बिना ही अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया और यह अवैध है।

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 नीचे पुन: उद्धृत की गई है:-

> **"230.** बोर्ड की मामलों को मंगाने की शक्ति –
>
> बोर्ड किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा विनिश्चित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकता है, जिसमें धारा 239 के अधीन बोर्ड या सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है और यदि ऐसा न्यायालय –
>
> (क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करता प्रतीत होता है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है; या
>
> (ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है; या
>
> (ग) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता के साथ किया है।
>
> बोर्ड मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।"

6. अधिनियम की धारा 230 की भाषा स्पष्ट है कि न्यायालय दो शर्तों के अधीन पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग कर सकता है: पहला, कि मामले का अंतिम रूप से निर्णय हो चुका हो और दूसरा, कि आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती।

7. याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क स्वीकार्य है कि अधिनियम की धारा 230 के अंतर्गत पुनरीक्षण केवल अंतिम आदेश के विरुद्ध है, किसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध नहीं। परिणामस्वरूप, बोर्ड द्वारा पारित विवादित आदेश अपास्त किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

8. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादीको शिकायत (यदि कोई हो) के निवारण के लिए कानून के अनुसार उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(अवनीश झिंगन),जे

सरल कुमावत/43

रिपोर्ट करने योग्य:- हां

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate